

कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी भीकनगाँव (सामान्य)

तहसील भीकनगाँव, जिला खरगोन (म.प्र.) E-mail sdoFTbhikangaon@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2023/465
प्रति,

भीकनगाँव, दिनांक 02/03/2023

श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महोदय,

वनमण्डल खरगोन (सामान्य)

विषय :- 11 के.व्ही. विद्युत लाईन मजरा टोला सस्त्या फाल्या, कोटबेड़ा में विद्युत लाईन का विस्तार कार्य करने की स्वीकृति बाबत।

संदर्भ :-

1) आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./2022/7513 खरगोन दिनांक 10.10.2022।

2) वन परिक्षेत्र तितरान्या का पत्र क्रमांक/2023/212 तितरान्या, दिनांक 27.02.2023।

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि 11 के.व्ही. विद्युत लाईन मजरा टोला सस्त्या फाल्या, कोटबेड़ा में विद्युत लाईन का विस्तार कार्य करने की स्वीकृति

बाबत प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/VELEC/154649/2022 की जाँच परिक्षेत्र सहायक पीढी एवं संबंधित

विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ रहकर प्रभावित वनभूमि का मौका स्थल का निरीक्षण

दिनांक 06.02.2023 को किया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी, तितरान्या के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 212

दिनांक 27.02.2023 का अवलोकन करने पर पाया गया कि, 11 के.व्ही. विद्युत लाईन मजरा टोला

सस्त्या फाल्या, कोटबेड़ा में विद्युत लाईन का विस्तार कार्य में बीट पीढी जामली के कक्ष क्रमांक 799

वनग्राम कोटबेड़ा में किया जाना प्रस्तावित है। जाँच के दौरान बीट पीढी जामली के कक्ष क्रमांक 799

में लम्बाई 200 मीटर एवं चौड़ाई 07 मीटर में कुल वास्तविक रकबा 0.140 हेक्टर वनभूमि प्रभावित

होना प्रस्तावित है। जी.पी.एस. रिडिंग प्रथम बिन्दु- N-21°27'04.65" E-75°46'47.01" से

N-21°27'01.50" E-75°46'53.00" है। उक्त विद्युत लाईन विस्तार में वृक्षों को किसी प्रकार से कोई

क्षति होना नहीं पाया गया है। प्रस्तावित वनभूमि का मौका स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

01) प्रस्तावित योजना स्थल के 02 फोटोग्राफ पत्र के साथ पृथक से संलग्न है।

02) योजना से प्रभावित वनभूमि बीट पीढी जामली के कक्ष क्रमांक 799 में लम्बाई 200 मीटर एवं

चौड़ाई 07 मीटर में कुल वास्तविक रकबा 0.140 हेक्टर वनभूमि का उपयोग होना पाया गया

है।

03) प्रचलित कार्य आयोजना अनुसार प्रस्तावित उक्त कक्ष वनग्राम का होकर, वनभूमि का घनत्व

निरंक है तथा वनभूमि प्रकार समतल होकर वनग्राम कोटबेड़ा के अन्तर्गत आता है।

- 04) प्रस्तावित वनक्षेत्र में वन्य प्राणियों की गणना का विवरण (विगत वन्य प्राणी गणना के अनुसार) वन्य प्राणियों की जानकारी निरंक होना पाया गया।
- 05) ऐतिहासिक/पुरातत्व धरोहर स्थित होना नहीं पाया गया।
- 06) चूकि विद्युतीकरण कार्य गैर वानिकी कार्य होने से, यदि अनुमति के बगैर कार्य होता है तो, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा।
- 07) प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन पर औचित्यपूर्ण टीप प्रस्तावित योजना से ग्रामीणों के मुलभूत सविधाओं में विकास होगा।
- 08) न्यूनतम उपयोगिता प्रमाण-पत्र पृथक से संलग्न है।
- 09) पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्ताव भाग-2 की प्रति उल्लेखित बिन्दुओं की आवश्यक पूर्ति की गई।

अतः वन परिक्षेत्र अधिकारी तितरान्या से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा मय दस्तावेज से सहमत होते हुए जाँच प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(दिनेश वास्केल)
उप वनमण्डल अधिकारी
भीकनगाँव

